



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 04 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक—14.11.2023

दिनांक 13/14.11.2023 को रात्रि थाना चिनहट 03, पारा 01 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में थाना अलीगंज 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 04 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 उत्तरी

जुआ खेलते समय गिरफ्तार।

थाना इन्दिरानगर—दिनांक 14.11.2023 को थाना इन्दिरानगर द्वारा बताया गया कि एस0आई0 श्री सन्दीप ठाकुर थाना इन्दिरानगर द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01.राजू पुत्र राधे लाल निवासी हालपता फरीदीनगर लखनऊ थाना इन्दिरानगर मूल पता—ग्राम गोरिया टोला को0 सदर सीतापुर 02. राम लाल पुत्र राम असरे निवासी हाल पता फरीदीनगर थाना इन्दिरानगर लखनऊ मूल पता—ग्राम काजी कोल थाना सिधौली सीतापुर 03. जगदीश पुत्र छंगा निवासी हाल पता फरीदीनगर लखनऊ स्थायी पता ग्राम प्ररागपुर थाना खैराबाद सीतापुर 04. आशीष पुत्र परसादी नि0 हाल पता फरीदीनगर लखनऊ स्थाई पता ग्राम बरकी थाना मिश्रिख सीतापुर 05. अमन पुत्र संतोष निवासी हाल पता फरीदीनगर लखनऊ को आपस में रूपयों की हारजीत की बाजी लगाकर ताश के पत्तों द्वारा जुआ खेलते व खिलवाते समय सार्वजनिक स्थान ठाकुर बिहार कालोनी मे खाली पड़े प्लाट थाना इन्दिरानगर से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 52 अदद ताश के पत्ते, मालफड़ में 650/—रूपये व जामातलाशी में 4,360/—रूपये नगद बरामद कर थाना इन्दिरानगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

डी0सी0पी0 दक्षिणी

थाना गोसाईगंज—दिनांक 14.11.2023 को थाना इन्दिरानगर द्वारा बताया गया कि एस0आई0 श्री उमाशंकर सिंह थाना गोसाईगंज द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01—चन्द्रशेखर पुत्र अवसान निवासी—महमूदपुर थाना गोसाईगंज लखनऊ 02—वीरेन्द्र कुमार पुत्र राम प्रसाद निवासी मादरमऊ थाना सुशान्तगोल्फ सिटी लखनऊ को आपस में रूपयों की हारजीत की बाजी लगाकर ताश के पत्तों द्वारा जुआ खेलते व खिलवाते समय सार्वजनिक स्थान ग्राम महमूदपुर राजा मार्केट के पीछे थाना गोसाईगंज से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 52 अदद ताश के पत्ते, मालफड़ में 30,500/—रूपये व जामातलाशी में 3,500/—रूपये नगद बरामद कर थाना गोसाईगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना गुडम्बा—दिनांक 14.11.2023 को थाना गुडम्बा द्वारा बताया गया कि वादी श्री राम दत्त मिश्रा स्व0 श्री राम कुमार मिश्रा निवासी—एमएलआईजी—4/114 सेक्टर एच जानकीपुरम लखनऊ ने थाना गुडम्बा पर सूचना दिया कि दिनांक 11.11.2023 को समय करीब 10.00 बजे अपनी दुकान अलीगंज प्लाजा चला गया था। समय करीब 12.00 दिन में वादी की पत्नी श्रीमती मीना मिश्रा भी दुकान पर चली गयी थी। दुकान बन्द करके वादी अपनी पत्नी के साथ करीब 10.00 बजे रात्रि को जब अपने उक्त घर पर पहुंचा तो देखा कि आलमारी में रखे करीब डेढ़ से दो लाख रूपये नगद को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। जबकि आलमारी में रखा अन्य सामान एवं अलग पर्स में रखा सामान यथा स्थिति में पड़ा है। इस सूचना पर थाना गुडम्बा पर मु0अ0सं0 452/2023 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना काकोरी—दिनांक 14.11.2023 को थाना काकोरी द्वारा बताया गया कि श्री शैलेन्द्र यादव पुत्र श्री बृजपाल सिंह निवासी—राजाराम टोला (बरगदकला) थाना काकोरी लखनऊ ने थाना काकोरी पर सूचना दिया कि आज दिनांक 14.11.2023 को उसके छोटे भाई रोहित यादव उर्फ मुन्ना उम्र करीब 23 वर्ष ने अपने आम के बाग में पावर हाउस काकोरी के आगे आम के पेड़ पर साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगा लिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री राज बहादुर सिंह मो0नं0 8004444741 थाना काकोरी द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक हरदोई रोड पर दुर्गागंज गांव के पास सड़क के किनारे चाय की दुकान चलाता था। मृतक अविवाहित था।

